रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178] दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 23, 2016/भाद्र 1, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 164
No. 178] DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 2016/BHADRA 1, 1938 [N.C.T.D. No. 164

भाग—IV
PART—IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली, विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 22 अगस्त, 2016

2016 का विधेयक संख्या 05

भारत रत्न डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016

भारत रत्न डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 (2007 का दिल्ली अधिनियम 9) में पुनः संशोधन करने हेतु

एक

विधेयक

सं. 21 (25)/अम्बेडकर (ए)/2016/वि.स.स. VI/वि./6644.—इसे भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जायेगा :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ (1).**— इस अधिनियम को भारत रत्न डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) यह 30 जुलाई, 2008 से लागू समझा जायेगा।

2. **धारा 1 में संशोधन.**— भारत रत्न डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 (इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 1 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

''(1) इस अधिनियम को डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।''

3. **धारा 2 में संशोधन.**— मूल अधिनियम की धारा 2 में खंड (अ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

''(अ) ''विश्वविद्यालय'' का अर्थ है इस अधिनियम के अन्तर्गत यथानिगमित डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, तथा''

4. **धारा 3 में संशोधन.**– मूल अधिनियम की धारा 3 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(1) सरकार द्वारा यथानिर्धारित तारीख से सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ''डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली'' के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसमें कुलाधिपति, कुलपति, न्यायालय के प्रथम सदस्य, विश्वविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड तथा शैक्षणिक परिषद् तथा ऐसे सभी सदस्य सम्मिलित होंगे जो यहां बाद में ऐसे कार्यालय या ऐसे सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जा सकते है जब तक वे ऐसे कार्यालय या सदस्यता में बने रहेंगे।''

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

दिल्ली सरकार ने भारत रत्न डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कलाओं, मानविकी, सामाजिक विज्ञान संबंधी अध्ययन, अनुसंधान एवं व्यापकता को प्रोत्साहन देने और सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करना है और साथ ही उच्च षिक्षा तथा इससे संबंधित या प्रासंगिक अन्य गतिविधियों में उत्कृष्टता लाना है।

रजिस्ट्रार अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, ने अपने दिनांक 12.11.2014 के पत्र संख्या एयूडी/1–10(53) /2013/18036 द्वारा सूचित किया है कि अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा ''भारत रत्न'' शीर्षक के ''दुर्व्यपदेशन'' (misrepresentation) के संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति तथा संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं जनशिकायत), गृह मंत्रालय के दिनांक 5.11.2013 के ई–मेल पत्र के माध्यम से श्री नरेश कादयान तथा सुश्री सुकन्या कादयान, सी–38, रोज अपार्टमेंट, प्रशान्त विहार, सैक्टर–14, रोहिणी, दिल्ली–110085 नामक दो व्यक्तियों से एक शिकायत याचिका प्राप्त हुई थी। याचिकाकर्ता का कथन है कि विश्वविद्यालय का उक्त शीर्षक बालगी राघवन/एस0पी0 आनन्द बनाम भारत संघ के मामले में टीपी (सिविल) में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 15.12.1995 के निर्णय के विरूद्ध है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उपरोक्त निर्णय में कहा है कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्रत्यय अथवा उपसर्ग के रूप में उपयोग नहीं किये जाने चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में अन्तर्निहित प्रासंगिक टिप्पणियां है कि ''क्या, भारत रत्न, पदम विभूषण, पदम भूषण तथा पदमश्री'' उपाधि भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 (1) के अर्थ में उपाधि है जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

संविधान के अनुच्छेद 18 (क) के अर्थ में राष्ट्रीय पुरस्कार ''शीर्षक '' की राशि नहीं है और उन्हें प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो चुककर्ता को प्रदान किये गये राष्ट्रीय पुरस्कार, सृजित करने वाली इन चार अधिसूचनाओं के प्रत्येक के विनियम 10 में निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए जब्त करने चाहिए।

विश्वविद्यालय ने दिनांक 03.11.2008 को हुई प्रबंधन बोर्ड की तीसरी बैठक में अनुमोदित किया है कि विष्वविद्यालय अपने दिन–प्रतिदिन का क्रियाकलाप ''अम्बेडकर विष्वविद्यालय या अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली'' के रूप में निर्दिष्ट करें। विष्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड ने दिनांक 21.01.2014 को हुई अपनी पंद्रहवीं बैठक में दिनांक 03.11.2008 को हुई तीसरी बैठक में यथा उल्लिखित अपने निर्णय को कायम रखा। विश्वविद्यालय ने वर्तमान शीर्षक अर्थात् ''भारत रत्न डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय'' को संशोधन द्वारा ''अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली'' करके विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने का अनुरोध किया है।

विधि एवं न्याय विभाग ने परामर्श दिया है कि भारत रत्न डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 (2007 का दिल्ली अधिनियम संख्या 09) के शीर्षक में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

भारत रत्न डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 के शीर्षक में संशोधन के लिये प्रस्ताव दिनांक 07.07.2015 की मंत्री मंडल बैठक में रखा गया।

मंत्री मंडल ने ''भारत रत्न डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय'' शब्दों को ''डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली'' करने का प्रस्ताव दिनांक 07.07.2015 के अपने निर्णय संख्या 2170 के अनुसार अनुमोदित कर दिया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा दिनांक 07.07.2015 के मंत्री मंडल निर्णय संख्या 2170 के अनुसार भारत रत्न डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करता है।

वित्तीय ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत रत्न डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 में प्रस्तावित संशोधन करने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

प्रत्यायोजित विधान से संबंधित ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत रत्न डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 में इस संशोधन द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों को शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं है।

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा, सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd August, 2016

Bill No. 05 of 2016

THE BHARAT RATNA DR. B. R. AMBEDKAR VISHWAVIDYALAYA (AMENDMENT) BILL, 2016.

A

BILL

Further to amend the Bharat Ratna Dr. B. R. Ambedkar Vishwavidyalaya Act, 2007.(Delhi Act 9 of 2007)

No. 21 (25)/Ambedkar (A)/2016/LAS-VI/Leg./6644.—Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement.— (1) This Act may be called The Bhart Ratan Dr. B.R. Ambedkar Vishwavidyalaya (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 30th July, 2008 .

2. Amendment of Section-1 .— In the Bharat Ratna Dr. B. R. Ambedkar Vishwavidyalaya Act, 2007 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 1, for sub-section (1) the following shall be substituted, namely:-

"(1) This Act may be called the Dr. B. R. Ambedkar University Delhi Act, 2007."

3. Amendment of Section-2.— In the principal Act, in section 2 for clause (v), the following clause shall be, substituted, namely:-

"(v) "University" means, the Dr. B.R. Ambedkar University Delhi as incorporated under this Act, and"

4. Amendment of Section-3.— In the principal Act, in section 3, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) With effect from such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, there shall be established a University by the name of "Dr. B.R. Ambedkar University Delhi", comprising the Chancellor and the Vice-Chancellor, the first members of the Court, the Board of Management and the Academic Council of the University and all such persons as may hereinafter be appointed at such office or as members so long as they continue to hold such office or membership".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Bharat Ratna Dr. B. R. Ambedkar Vishwavidyalaya Act, 2007 was enacted by Government. of NCT of Delhi, to establish and incorporate a teaching University at Delhi to facilitate and promote studies, research and extension work in higher education with focus on liberal arts, humanities and social sciences and also to achieve excellence in higher education and other matters connected therewith or incidental thereto.

The Registrar, Ambedkar University Delhi, vide his letter No. AUD/1-10(53)/2013/18036 dated 12.11.2014 informed that a Grievance Petition was received from two persons namely Sh. Naresh Kadyan and Ms. Sukanya Kadyan, C-38, Rose Apartment, Prashant Vihar, Sector-14, Rohini, Delhi-110085 through e-mail letter dated 05.11.2013 to the Vice-Chancellor of the University and Joint Secretary (Admn. & PG), MHA regarding "misrepresentation" of the title "Bharat Ratna" by the Ambedkar University, Delhi. The petitioners stated that the above title of the University is against the Hon'ble Supreme Court of India's Judgment dated 15.12.1995 in TP (Civil) 09 of 1994 in the matter of Balagi Raghavan/S.P. Anand Vs Union of India.

Hon'ble Supreme Court of India in its above mentioned Judgment held that the National Award should not be used as suffixes or prefixes. The relevant observations contained in the judgment of the Hon'ble Supreme Court on the question "Whether the awards, Bharat Ratna, Padam Vibhushan, Padam Bhushan and Padma Shri, are 'titles' within the meaning of Article 18 (1) of the constitution of India", are reproduced as under:

"The National Awards do not amount to 'titles' within the meaning of the article 18(1) of the constitution and they should not be used as suffixes or prefixes. If this is done, the defaulter should forfeit the National Award conferred on him or her by following the procedure laid down in Regulation 10 of each of these four notifications creating these National Awards".

The Board of Management (BOM) of the University in its 3rd BOM meeting held on 03.11.2008, approved that the University be referred to in day-to-day transactions as Ämbedkar University" or "ÄUD". The Board of Management of the University in its 15th meeting held on 21.01.2014 has reiterated its decision as mentioned in its 3rd meeting held on 03.11.2008. The University requested to consider amendment in the University Act by amending the existing title of University viz. "The Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar Vishwavidyalalya" to Ámbdekar University Delhi'.

The Law & Justice Department advised that title of the Bharat Ratna Dr. B. R. Ambedkar Vishwavidyalaya Act, 2007 (Delhi Act No. 9 of 2007) needs to be amended.

Proposal for amendment in the title of the Bharat Ratna Dr. B. R. Ambedkar Vishwavidyalaya Act, 2007 was placed before the cabinet in its meeting dated 07.07.2015.

The cabinet approved the proposal that words "Bharat Ratna Dr. B. R. Ambedkar Vishwavidyalaya" shall be changed to "Dr. B. R. Ambedkar University Delhi" vide its Decisions No. 2170 dated 07.07.2015.

In view of the above, the Government of NCT of Delhi has decided to amend the Bharat Ratna Dr. B. R. Ambedkar Vishwavidyalaya Act, 2007 in accordance with the decision of Hon'ble Supreme Court of India and cabinet decision No. 2170 date 07.07.2015.

The Bill seeks to achieve the above objectives.

FINANCIAL MEMORANDUM

It is certified that there will be no financial burden on the Government of NCT of Delhi for making the proposed amendment in the Bharat Ratna Dr. B. R. Ambedkar Vishwavidyalaya Act, 2007.

MEMORENDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

It is certified that by this amendment in the Bharat Ratna Dr. B. R. Ambedkar Vishwavidyalaya Act, 2007, there is no delegation of power to the lower offices.

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA, Secy.

RAJ KUMAR Digitally signed by RAJ KUMAR Date: 2016.08.29 22:55:05 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.